

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन राजस्व
एवम् आपदा प्रबंधन विभाग**

---:: प्रारंभिक अधिसूचना ::---

क्र. / 10610 / भू-अर्जन / 2022,

कोरबा, दिनांक 15/09/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम(6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है-

अनुसूची

भूमि का प्रकार							
जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.ह.न.	ख.न.	क्षेत्रफल (हे.में.)	धारा 12 प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	
कोरबा	कटघोरा	शुक्लाखार/ 06	कालम सलग्न (कुल खसरा नं. 77	कालम सलग्न (कुल रकबा 4.742हे.)	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण	
ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल
4	5	4	5	4	5	4	5
147/2	0.036	122/1/क	0.194	203/1	0.268	240/1घ	0.117
151/1च/1	0.040	87/4	0.008	211/4	0.041	239/2	0.008
151/1च/2	0.040	88/1, 170/1, 171, 183	0.061	203/10	0.008	235/2	0.032
151/1च/3	0.040	87/3	0.024	211/5	0.085	56/1क	0.206
151/1च/4	0.040	169, 170/2	0.016	237/3	0.097	151/6	0.105
147/1, 141/1, 146/1, 152/3	0.053	183/3/ख	0.089	240/1ख	0.041	133/1	0.040
151/2	0.016	87/5	0.032	240/1ग	0.016	133/2	0.008
1/15	0.085	75/1ख	0.053	239/1	0.008	133/3	0.008
135/4	0.016	56/1ग	0.057	264/2	0.073	133/4	0.008
135/7	0.165	128/2	0.053	264/1	0.101	133/8	0.008
135/8	0.133	120/3	0.105	259/2	0.041	133/9	0.008
135/1	0.129	209/1	0.028	260	0.024	132/1	0.101

135/5	0.109	210	0.085	141/2, 146/2, 147/3, 152/5	0.049	127/2	0.113
123/1	0.165	237/2	0.061	151/5	0.081	149	0.073
126	0.028	86/2	0.020	131	0.008	132/2	0.121
90/1, 89	0.085	209/2	0.028	263/5	0.032	211/2	0.032
91/2	0.109	237/4	0.153	133/5	0.008	216	0.053
122/1/ख	0.049	86/3	0.020	133/7	0.008	योग	4.742
122/2	0.016	203/8	0.081	133/6	0.008		
92	0.008	203/4	0.061	240/1क	0.113		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयम् अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला-कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(संजीव कुमार झा)

कलेक्टर,

जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग. शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1, कटघोरा


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)